

:- आदेश:-

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 07-3-2014 से अवगत कराया गया है कि वह अस्वस्थ है। उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008(यथा संशोधित) के नियम-3 के उपनियम-3 सप्तित नियम-4(11) तथा नियमावली के नियम-3(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नवत् तालिका के कालम-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार उनके सम्मुख कालम-4 व 5 में अंकित एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 वाणिज्य कर को अग्रिम आदेश तक एतद्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा:-

क्र० सं०	जोन का नाम	स्थित जोन का नाम	अतिरिक्त क्षेत्राधिकार जिन्हें प्रदान किया जा रहा है	
			जोन का नाम	अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
1	बरेली	एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्य कर बरेली	एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)वाणिज्य कर, बरेली	श्री राय विनोद कुमार श्रीवास्तव

2- उक्त कालम -03 में उल्लिखित अधिकारी के अवकाश से वापस लौटने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अनु सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/4, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- जिलाधिकारी, बरेली।
- 3- एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली।
- 4- एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०)जोन बरेली।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी को नाम से अनुपालनार्थ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 7- असिस्टेन्ट कमिशनर(आई०टी०)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेक्साइट हेतु।

(विनोद कुमार सिंह)

ज्वाइन्ट कमिशनर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।